

रलखस्थलन सरकर  
वन वलडलग

करुडलनलंक: ड. 1 (13) वन/2023

खडडडड, डलनलनलंक:—

डुरधलन डुखुड वन संरकुषक (HoFF)  
रलखस्थलन, खडडडड।

**वलषड:**—Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0,1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)" (Proposal No. FP / RJ / OFC / 150737/2022)

**संडरुड:**—लडडकल डडुरलंक डड 14 (OFC)2022/डडसीड/डडडुवस/4892 डलनलनलंक 14.10.2022

डडुडडड,

उडडरुडकुत वलषडलनुतडरुगुत संडरुडलडत डुरसुतलव डें M/S Telesonic Networks Limited (डुरडुडकुतल लडडलकरण) डुवलरल वन संरकुषण लडडलनलडड 1980 के लनुतडरुगुत सलडलनुड सुवुीकुरुतल के तडुत धलरल—2 डें OFC Cable Line डेतु 0.4143 डेकुतडर वन डुडडल डुरतुडलवडरुतन कुी सुवुीकुरुतल डलडुी डरुई डुी डुी नुडल लडडलकरुी वन संरकुषण लडडलनलडड डुवलरल डुरसुतुत कुलडुे डडुे डुरसुतलव डर वलडलरुडरलनुत डुरसुतलव डर वन संरकुषक लडडलनलडड 1980 के लनुतडरुगुत धलरल—2 डें सलडलनुड सुवुीकुरुतल डलडत खलरुी डलशल—नलरुडेशुुं डुवं नवलन नलरुडेश डलनलनलंक 27.07.2020 के डरलडडेकुषुड डें Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0,1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)" कुी सैडुवलनुतलक सुवुीकुरुतल डलनल वृकुषुुं के डलतन सडुलत नलडुन शरुतुुं के लडुडुधलन डुरडलन करुतुी डुी:—

1. वन डुडडल कुी वैधलनलक सुथलतल डें कुुी डरलवरुतन नडुी डुुगल।
2. डुरतुडलवडरुतल वन डुडडल कुल उडडुुग कुलसुी लनुड डुरडुुखन के ललडुे नडुी कुलडुे खलडुेगल।
3. डुलडक वलडलग डुवलरल डरलडुुखनल के नलरुडलण डुवं रख रखलव के डुीरलन लस डलस के कुषुतुर कुी वनसुडडलतलडुुं डुवं खलव खनुतुलकुुु कुुी कुलसुी डुरकलर कुी कुषुतल नडुी नडुुडलरुडुी खलडुेगुी डुवं उनके संरकुषण डेतु सडुसुत उडडलड कुलडुे खलडुेगुं।
4. डुरतुडलवडरुतल कुषुतुर डें रुडडलत कुलडुे खलने वलले कुुी वृकुषुु वन वलडलग कुी डलनल डुरवलनुडडलत के नडुी कलडल खलडुे। उकुत कुषुतुर डें रुडडलत डेड डरलडडकुव डुुे डरु, वन वलडलग के डुुेगुे।
5. डुरडुुडकुतल लडडलकरण डुवलरल डुरसुतलवलत सुथल/वनकुषुतुर के लस—डलस डखडुुरुुं/सुतलड के ललड कुलसुी डुी डुरकलर कल कुैडुडु नडुी लडुलडल खलडुेगल।
6. डुरडुुडकुतल लडडलकरण डुवलरल नलरुडलण कलरुड के डुीरलन सुथल डर कलरुडरत डखडुुरुुं/सुतलड कुुी रसुुीरु डुैस/कुरुुसलन तेल लडुुडरुतल कुी खलडुेगुी, तलकुल नलकडुवडरुतुुी वनलं कुुी कुषुतल न डुुे।
7. डुरडुुडकुतल लडडलकरण डुवलरल डुरसुतलवलत वनडुडडल के लतलरलकुत लस—डलस कुी वनडुडडल से/डर नलरुडलण कलरुड के डुीरलन डलडुडुी/डुथर कलडुने डुल डरुने कल कलरुड नडुी कुलडुेगल।

कलरुडललड डडल:— वन वलडलग कलरुडललड , कडरल नडुडर 8324 , उतुतरी डडलकुडुी डवन, सडुवललड, रलखस्थलन खडडडड,  
डुरुडलष संखुडल— 0141—2227762 Mail ID [ads.forest@rajasthan.gov.in](mailto:ads.forest@rajasthan.gov.in) letter/diversion/ajayfloder/

RajKaj Ref No. : 3309161



8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया ,

( मोनाली सेन )  
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी-ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
5. जिला कलेक्टर, बूंदी।
6. उप वन संरक्षक, बूंदी
7. Telesonic Networks Limited K-21 Sunny house, Malviya Marg, C-Scheme, Jaipur.
8. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, वन

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी पश्चिमी भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर,  
दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID [ads.forest@rajasthan.gov.in](mailto:ads.forest@rajasthan.gov.in) letter/diversion/ajayfloder/

RajKaj Ref No. : 3309161

